

# न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या 214/2019

यूको बैंक,  
शाखा:- किशनगढ, अजमेर(राज.)

.....प्रार्थी

बनाम

- (1) श्री दीपक सेन पुत्र श्री ओम प्रकाश सेन
  - (2) श्रीमती विजय लक्ष्मी पत्नि श्री दीपक सेन  
पता:- लुहाडियों का बास, पुराना शहर, किशनगढ, अजमेर (राज0)
  - (3) श्री बनवारी लाल शर्मा पुत्र श्री राम प्रसाद शर्मा  
पता:- बालाजी हॉस्पिटल, किशनगढ, अजमेर (राज0)
  - (4) श्री चेतन सोनी पुत्र श्री किशन लाल सोनी  
पता:- चंदालियों का मोहल्ला, पुराना शहर, किशनगढ, अजमेर (राज0)
- .....अप्रार्थीगण (ऋणी)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्यूराईटेशन रिक्सट्रक्शन  
आफ फाईनेन्शियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ  
सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित :- श्री संदीप गोयल

अधिकृत प्रतिनिधि

आदेश

दिनांक 11.12.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण श्री दीपक सेन पुत्र श्री ओम प्रकाश सेन एवं श्रीमती विजय लक्ष्मी पत्नि श्री दीपक सेन निवासी:- लुहाडियों का बास, पुराना शहर, किशनगढ, अजमेर (राज0) को दिनांक 19.03.2012 को रू 4,50,000/- (अक्षरे चार लाख पचास हजार रुपये ) की ऋण सुविधा स्वीकृत की थी। इस हेतु अप्रार्थीगण/ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजात निष्पादित कर लुहाडियों का बास, पुराना शहर, किशनगढ, जिला अजमेर में स्थित रहवासी मकान जिसका क्षेत्रफल 922.14 वर्गफीट है, जो कि श्री दीपक सेन पुत्र श्री ओम प्रकाश सेन के नाम से है, जिसकी चतुर्थ सीमाएं:- पूर्व :-सुरेन्द्र कुमार शर्मा का नोहरा, पश्चिम:-आम रास्ता, उत्तर:-महावीर राव का मकान, दक्षिण:-नगर परिषद की खुली जमीन, को बतौर जमानत प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखा था। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी बैंक को उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और बकाया ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम व चूक कर दी और दिनांक 31.05.2019 को डिफाल्टर हो गये। प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण/ऋणी को दिनांक 25.06.2019 को रजिस्टर्ड मांग नोटिस रुपये 3,98,745/- (अक्षरे तीन लाख अठानवे हजार सात सौ पैतालीस मात्र) का जारी किया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नहीं सम्भलाया है। प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी



*(Signature)*

जिला मजिस्ट्रेट  
अजमेर

बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अधिकृत प्रतिनिधि प्रार्थी प्रस्तुत किया गया।

अधिकृत प्रतिनिधि प्रार्थी को सुना गया। अधिकृत प्रतिनिधि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अप्रार्थीगण ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस व्यक्तिगत रूप से प्राप्त करने के बावजूद भी प्रार्थी बैंक को जमा नहीं कराया है। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक के पक्ष में उक्त रहन रखी सम्पत्ति का अधिनियम के प्रावधान अनुसार कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस जारी करने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगण द्वारा भुगतान नहीं किया है।

अतः The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में बंधक सम्पत्ति लुहाडियों का बास, पुराना शहर, किशनगढ, जिला अजमेर में स्थित रहवासी मकान जिसका क्षेत्रफल 922.14 वर्गफीट है, जो कि श्री दीपक सेन पुत्र श्री ओम प्रकाश सेन के नाम से है, जिसकी चतुर्थ सीमाएं:-पूर्व :-सुरेन्द्र कुमार शर्मा का नोहरा, पश्चिम:-आम रास्ता, उत्तर:-महावीर राव का मकान, दक्षिण:-नगर परिषद की खुली जमीन, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक, अजमेर को हस्त कायदा जारी हो।

आदेश आज दिनांक 11.12.2019 को सुनाया गया।



*Shelame*  
(विश्व मोहन शर्मा)  
जिला मजिस्ट्रेट  
अजमेर